न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या :– 155/2001/223 आर.टी.ए.

1. महेन्द्र सिंह उर्फ गुरपास सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. रणधीर सिंह पुत्र श्री चानण सिंह जाति जटसिख, निवासीयान सलेमगढ़, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज0)
3. रणजोध सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह जटसिख, निवासीयान सलेमगढ़, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज0)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. सरदूल सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. हरचन्द सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
3. बाघ सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख निवासीयान कौनी, तहसील मुक्तसर, जिला फरीदकोट हाल टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
4. मुकन्द सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख निवासीयान कौनी, तहसील मुक्तसर, जिला फरीदकोट हाल टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
5. गुरदेव सिंह पुत्र श्री महंगा सिंह जाति जटसिख निवासीयान मसानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
6. सुब्बा सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासीयान मसानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

—— रेस्पोडेंट्स

1. अपील संख्या :– 156/2001/223 आर.टी.ए.

1. महेन्द्र सिंह उर्फ गुरपास सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. रणधीर सिंह पुत्र श्री चानण सिंह जाति जटसिख, निवासीयान सलेमगढ़, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज0)
3. रणजोध सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह जटसिख, निवासीयान सलेमगढ़, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज0)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. सरदूल सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. हरचन्द सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
3. बाघ सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

4. मुकन्द सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

—— रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः—

1. श्री लालचन्द अभिभाषक, अपीलार्थीगण।
2. श्री खुशप्रीत सिह सन्धू अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांकः— 15.03.2018

1. यह कि उपरोक्त दोनों अपीलों का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित अपीडी/टीए/87/2002 व 137/2002 में पारित आदेश के निर्देशानुसार किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों से संबंधित विषय—वस्तुत एक ही है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय भी एक ही किया है ऐसी स्थिति में उक्त दोनों अपीलों का निर्णय भी एक ही निर्णय द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील संख्या 155/2001 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 374/95 बअनवानी महेन्द्र सिंह आदि बनाम सरदूल सिंह आदि बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 से मुश्तर्का खाते में उनके हिस्सा व कब्जा की भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.07.1983 व चक 8 जी. जी.आर. के पत्थर नं0 200/285 किला नं0 13 में 11 बिस्वा, 14, 15 में 13 बिस्वा, 16 में 13 बिस्वा कुल 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि खरीद की। उस समय राजस्व अभिलेख में किला नं0 15, 16 में सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृतशुदा 2—2 बिस्वा का खाले का इन्द्राज था जो मौके पर खुला हुआ व चालू नहीं था। अपीलान्ट ने अपने वाद पत्र में यह कथन किए कि उपरोक्त विक्रयशुदा भूमि की निष्बत जो हक—हकूक मय रास्ता खाला, नहरी पानी दरख्तान आदि रेस्पोडेन्ट को हासिल थे वो बैयनामा के बाद अपीलान्ट को हासिल होंगे तथा मुताबिक जमाबन्दी खाला एवं रास्ता की भूमि गैर मुमकिन होती है तथा इस पर समस्त अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त हो हैं। रेस्पोडेन्ट को खाला की भूमि पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने अपने वाद पत्र में यह भी कथन किए कि कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 04.06.1983 को विक्रय की हुई है एवं जरिये बैयनामा उक्त कृषि भूमि का कब्जा दिनांक 04.06.1983 को अपीलान्ट को सौंप दिया था। इतने लम्बे अर्सा तक मौन रहकर रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के कब्जा को सहमति अपने आचरण एवं व्यवहार से दे दी है इसलिए अब 12 वर्ष बाद प्रतिवादीगण इस भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं रखते। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किए कि अपीलान्ट को चक 4 जी.जी.आर. के पत्थर

नं0 200/285 के किला नं0 13 में 11 बिस्वा, 14, 15 में 13 बिस्वा, 16 में 13 बिस्वा कुल 2 बीघा कृषि भूमि क्रय की गई तथा किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक में 5–5 बिस्वा सड़क निकली हुई है तथा किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा खाला की भूमि जमाबन्दी में दर्शायी हुई है तथा 2 बीघा 17 बिस्वा के अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट ने कोई कब्जा अथवा विक्रय पत्र अपीलान्ट के पक्ष में नहीं करवाया और ना ही किला नंबर 15, 16 में वर्णित खाला की भूमि का कोई अधिकार अपीलान्ट को दिया। रेस्पोडेन्ट ने जरिये रजिस्ट्री दिनांक 13.05.1962 के जरिये चक 8 जी.जी.आर. के पत्थर नं0 201/285 तादादी 2 बीघा व पत्थर नं0 200/285 किला नंबर 6 ता 8, 13 ता 18, 23 व पत्थर नंबर 200/286 किला नंबर 24, 25 व पत्थर नंबर 200/287 किला नंबर 2/1/1, 3/1/3, 4/11/3, 5/11/2 कुल 1111/4 बीघा व पत्थर नं0 201/287 किला नंबर 1 पत्थर नं0 201/284 किला नं0 6, 7, 15 कुल 19111/4 बीघा में से 171/4 बीघा भूमि खरीद की थी। जब यह भूमि खरीद की थी तब उस समय पत्थर नं0 200/285 के किला नंबर 15, 16 प्रत्येक 1–1 बीघा पूर्ण भूमि दर्ज थी। अपीलान्ट ने किला नंबर 15, 16 की 7–7 बिस्वा भूमि को खरीद नहीं किया क्योंकि 5–5 बिस्वा भूमि सड़क में अवाप्त हो गई व 2–2 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन खाला में दर्ज होने के कारण अपीलान्ट ने खरीद नहीं की। यदि अपीलान्ट द्वारा खाले की 2–2 बिस्वा भूमि खरीद की होती तो रजिस्ट्री में 13 बिस्वा के स्थान पर 15 बिस्वा भूमि खरीद किया जाना अंकित होता। खाले की आवश्यकता न होने के कारण 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन से कृषि भूमि में तब्दील किए जाने के कारण रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी दर्ज हुई जो विधिवत है।

2. इसी प्रकार दूसरी अपील संख्या 156/2001 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा राजस्व वाद संख्या 205/95 सरदूल सिंह बनाम महेन्द्र सिंह आदि में अपीलान्ट का काउण्टर क्लेम बाबत् घोषणा खारिज किया गया। इस अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद पत्र अपीलान्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने अपनी आराजी चक 8 जी.जी.आर. खाता संख्या 39/36 में दर्ज 992 हिस्सा में अपीलान्ट को जरिये बैयनामा दिनांक 04.07.1983 को 722 हिस्स बैय की है शेष मान्दा रकबा 170 हिस्सा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 बतौर मालिक व खातेदार काबिज हैं। मुताबिक घरूबंटवारा वादी व प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के हिस्सा की आराजी चक 8 जीजीआर प.न. 200/285 कि.न. 13, 15, 16/10 बिस्वा 7 बिस्वा प्रत्येक, 17, 18 मु.न. 47 पर बतौर

काबिज मालिक चले आ रहे है। प्रतिवादी सं. 4 ता 6 बरवक्त दावा उपस्थित न होने के कारण उन्हे प्रतिवादी बनाया गया है। उक्त दावा मे अनुतोष चाहा गया कि स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 वादी की आराजी चक 8 जीजीआर प.न. 200/285 मु.न. 47 कि.न. 13/10 बिस्वा, 15/7 बिस्वा, 16/7 बिस्वा, 17,18/2 बीघा मे मदाखलत बेजा व वादी के कब्जा काश्त मे दखलअंदाजी करने से बाज रहे। जिसमे अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने वादी एवं उसके भाईयों से मुश्तर्का खाते में उनके हिस्सा व कब्जा की भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.07.1983 व चक 8 जी.जी.आर. के पत्थर नं0 200/285 किला नं0 13 में 11 बिस्वा, 14, 15 में 13 बिस्वा, 16 में 13 बिस्वा कुल 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि खरीद की। उस समय राजस्व अभिलेख में किला नं0 15, 16 में सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृतशुदा 2–2 बिस्वा का खाले का इन्द्राज था जो मौके पर खुला हुआ व चालू नहीं था। अपीलान्ट ने अपने जवाबदावा में यह कथन किए कि उपरोक्त विक्रयशुदा भूमि की निष्बत जो हक–हकूक मय रास्ता खाला, नहरी पानी दरख्तान आदि रेस्पोडेन्ट को हासिल थे वो बैयनामा के बाद अपीलान्ट को हासिल होंगे तथा मुताबिक जमाबन्दी खाला एवं रास्ता की भूमि गैर मुमकिन होती है तथा इस पर समस्त अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त हो हैं। रेस्पोडेन्ट को खाला की भूमि पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने अपने वाद पत्र में यह भी कथन किए कि कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 04.06.1983 को विक्रय की हुई है एवं जरिये बैयनामा उक्त कृषि भूमि का कब्जा दिनांक 04.06.1983 को अपीलान्ट को सौंप दिया था। इतने लम्बे अर्सा तक मौन रहकर रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के कब्जा को सहमति अपने आचरण एवं व्यवहार से दे दी है इसलिए अब 12 वर्ष बाद वादी/रेस्पो0 इस भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं रखते।

3. उपरोक्त दोनो दावो मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2001 को निर्णय पारित करते हुए वाद सं. 250/95 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत कांउटर खारिज किये गये व प्रतिवादी महेन्द्र सिंह द्वारा पेश वाद सं. 374/95 भी खारिज किया गया। उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट महेन्द्रसिंह द्वारा अपील सं. 155/2001 व 156/2001 दो अपीले पेश की गई जिसमे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 02.01.02 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट स्वीकार की जाकर काउंटर क्लेम अपीलांट (प्रतिवादी) डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील पेश की जिसमे दिनांक 13.2.2012 दोनो अपीले आंशिक

रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 02.01.02 निरस्त किया गया वे प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण मे तनकीवार अथवा आवश्यक वाद बिन्दू कायम कर उन पर विवेचन करते हुए विस्तृत निर्णय पारित करें।

4. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में कुल 6 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए व अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कुल 43 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से सरदूल सिंह पी.डब्लयू. 1 के बयान करवाए गए व अपीलान्ट की ओर से डी.डब्लयू. 1 रणजोत सिंह, डी.डब्लयू. 2 रणधीर सिंह व डी.डब्लयू. 3 महेन्द्र सिंह के बयान करवाए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी का निस्तारण पहले किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के साथ मीमो ऑफ अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र महेन्द्र सिंह उर्फ गुरपाल सिंह व प्रार्थना पत्र महेन्द्र सिंह आदि बाबत् अपील विड्रा करने बाबत् की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 का प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने बहस में कथन किए कि विवादित भूमि का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दिनांक 26.12.1995 को दर्ज हो चुका था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी तथा उक्त अपील में उपरोक्त कृषि भूमि को आराजीराज करने का अनुतोष चाहा था। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसका जवाब अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त जवाब प्रार्थना पत्र में भी अपीलान्ट ने प्रश्नगत भूमि खातेदारान को न मिलकर राज्य सरकार को प्राप्त होने के कथन किए हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि पत्थर नं0 200/285 किला नं0 15 व 16 की 2–2 बिस्वा जो पूर्व में गैर मुमकिन खाला के रूप में थी, को अपीलान्ट ने कभी भी अपनी होना स्वीकार नहीं किया, न ही अपीलान्ट ने यह खरीद की है। इसलिए उक्त दस्तावेज अपील हाजा से सुसंगत दस्तावेज है और यह प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं जिसके फर्जी होने का कोई अन्देशा नहीं है। अपीलान्ट ने अपने बहस में निवेदन किया कि उक्त दस्तावेज अपील हाजा से सुसंगत दस्तावेज नहीं हैं तथा यह दस्तावेज दोनों पक्षकारों के

मध्य चली कार्यवाहियों के संबंध में हैं जिसका ज्ञान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को शुरू से ही रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खारिज फरमाया जावे। बहस सुनी गई। उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों में अपीलान्ट ने प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार की होने के कथन किए हैं लेकिन अपने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम में किला नंबर 15 व 16 का समस्त भाग खरीद किए जाने के कथन किए हैं जो कि विरोधाभासी हैं। इस कारण उक्त दस्तावेज अपील हाजा से सुसंगत होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए जाते हैं तथा अन्तिम बहस सुनी गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.02.2012 की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे निम्नलिखित तनकीयात के अनुसार निर्णय पारित किया जा रहा है तथा तनकी संख्या 2, 4, 6 एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण इसका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. आया प्रतिवादीगण जवाबदावे की चरण सं. 9, प्रतिदावा की चरण सं. 10 के अनुसार घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं –प्रतिवादी
5. आया वर्तमान जमाबंदी मे प्रतिवादीगण वादी का हिस्सा 650 के स्थान पर 600 हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है– प्रतिवादी
6. आया प्रतिवादीगण जरिये रजिस्ट्री दिनांक 04.07.83 से क्रय भूमि 2.17 बीघा से अधिक भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है–प्रतिवादी

उक्त तनकी को सिद्धभार करने का भार अपीलान्ट/प्रतिवादीगण पर था। अपीलान्ट/प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा की चरण संख्या 9 में यह कथन किए हैं कि अपीलान्ट ने पत्थर नं0 200/285 किला नं0 15 व 16 में सड़क को छोड़कर शेष भाग का स्वामित्व एवं कब्जा अपीलान्ट को सौंपा हुआ है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जरिये बैयनामा यह अधिकार भी अपीलान्ट को दिए हुए हैं कि उक्त आराजी भी निष्बत जो हक हकूक मय रास्ता नहरी पानी दरख्तान आदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हासिल थे वो बैयनामा के बाद अपीलान्ट को हासिल हो गए तथा अपीलान्ट ने अपने जवाब दावा में यह कथन किए कि अपीलान्ट ने किला नंबर 15 व 16 का समस्त भाग मय रास्ता खाला खरीद किया हुआ है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गलत रूप से प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करा लिया है तथा यह घोषणा चाही कि अपीलान्ट चक 8 जी.जी.आर. के पत्थर नं0 200/285 किला नं0 13 में 11 बिस्वा, 14, 15 में 15 बिस्वा, किला नंबर 16 में 15 बिस्वा अर्थात् कुल 772 हिस्सा के हकदार व खातेदार हैं।

अपीलान्ट के अधिवक्ता का यह तर्क है कि उक्त बैयनामें में प्रश्नगत आराजी की निष्बत जो हक, हकूक मय रास्ता खाला नहरी पानी दरख्तान आदि विक्रेता को आज तक हासिल थे, वो आईन्दा खरीददार अर्थात् अपीलान्ट को हासिल होना बैयनामें में दर्ज है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का इस संबंध में यह निवेदन है कि प्रश्नगत भूमि को खाला व रास्ता के संबंध में जो हक–हकूक हासिल थे, वो ही हक–हकूक अपीलान्ट को हासिल होंगे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विशिष्ट किले विक्रय किए हैं तथा किला नंबर 15 में 13 बिस्वा व किला नंबर 16 में 13 बिस्वा ही विक्रय किया है। किला न0. 15 व 16 की खाला की गैर मुमकिन भूमि रेस्पोडेन्ट ने कभी विक्रय नही की तथा उपरोक्त किला न0 15 व 16 की 13–13 बिस्वा से अधिक भूमि पर अपीलान्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं है। विवादित भूमि किला नंबर 15 की 2 बिस्वा व 16 की 2 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अपीलान्ट ने 2 बीघा 17 बिस्वा अर्थात् 0.721 हैक्टेयर ही खरीद की है तो उसका हिस्सा 0.772 हैक्टेयर कैसे हो सकता है। डी.डब्लयू.–1 रणजोत सिंह ने भी अपनी साक्ष्य में प्रदर्श 1 के तहत 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि ही खरीद करने के कथन किए हैं। डी.डब्लयू.–2 रणधीर सिंह ने अपनी जिरह् में यह स्वीकार किया है कि किला नं0 15, 16 की शेष 7–7 बिस्वा हमें (अपीलान्ट) को नहीं बेची तथा 7–7 बिस्वा जमीन में हमारा (अपीलान्ट का) कोई हक नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त दस्तावेज प्रदर्श–1 बैयनामा का अवलोकन किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा पत्थर नं0 200/285 किला नंबर 13 में 11 बिस्वा, 14, 15 में 13 बिस्वा, 16 में 13 बिस्वा कुल 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलान्ट को विक्रय होना दर्शाया गया है, जिसमे ''उक्त आराजी की निस्बत जो हक हकूक मय रास्ता खाला नहरी पानी दरखतान आदि मुझ वाया को आज तक हासिल थे आज से आईन्दा खरीददारान को होगें'' अंकित किया है। विक्रय पत्र मे अंकित उक्त ईबारत से विक्रेता द्वारा क्रेतागण को विक्रयशुदा भूमि से संबंधित रास्ते खाले नहरी सिंचाई आदि सुविधाओ के उपयोग को अधिकार देने का आशय रहा है। उक्त इबारत से क्रेता की मन्शा रास्ते खाले की भूमि के स्वामित्व के अन्तरण करने की नही मानी जा सकती। परिणामतः इस ईबारत के आधार पर जल संसाधन विभाग द्वारा निरस्त किये गये खाले की भूमि का स्वामित्व क्रेतागण को दिया जाना विधिपूर्ण एवं न्यायोचित नही माना जा सकता। जमाबन्दी का भी अवलोकन किया गया। जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम 0.722 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है व रेस्पोडेन्ट के नाम 650 हिस्सा दर्ज है। उक्त समस्त भूमि मय गैर मुमकिन खाला को शामिल करते हुए दर्ज है। अपीलान्ट ने 0.722 हैक्टेयर भूमि ही खरीद की है, शेष भूमि

रेस्पोडेन्ट की है। यदि गैर मुमकिन खाला की भूमि निरस्त होती है तो वह खातेदार को ही प्राप्त होती है। उससे किसी भी सहखातेदार के हिस्से में कोई कमी अथवा बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के हिस्से को कम करवाने के अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट ने 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि ही खरीद की तथा इतनी ही भूमि का नामान्तरण भी उसके नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2, 4, 6 का निर्णय जो अपीलान्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निस्तारित किया, विधिसम्मत है। उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

3. आया सिंचाई विभाग का निर्णय दिनांक 11.05.94 व 19.12.95 प्रतिवादीगण पर प्रभावशाली व बाध्यकारी नही है–

सिंचाई विभाग द्वारा आदेश दिनांक 11.05.1994 प्रदर्श ए–14 में नया खाला स्वीकृत किया गया व प्रदर्श ए–15 में पुराने खाले को निरस्त किया गया। प्रदर्श ए–14 व प्रदर्श ए–15 आदेश सक्षम विभाग द्वारा पारित किए गए हैं। इस आदेश से यदि अपीलान्ट प्रभावित हैं तो उन्हें सिंचाई विभाग में सक्षम अधिकारियों के समक्ष या सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए थी लेकिन अपीलान्ट ने सक्षम न्यायालय में इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है इस कारण यह तनकी भी अपीलान्ट के विरूद्ध व रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

5. आया प्रतिवादीगण को कोई वादकारण हासिल नही है– वादी

कि गैर मुमकिन खाला निरस्त हो जाने पर उक्त भूमि खातेदारी दर्ज हुई जिससे अपीलान्ट के हिस्सा में कमी अथवा बढ़ोतरी नहीं हुई है। अपीलान्ट ने 0.722 हैक्टेयर भूमि ही खरीद की थी। उस खरीदशुदा भूमि में कोई कमी नहीं हो रही। इस कारण प्रतिवादीगण को कोई वाद कारण हासिल नहीं है। उक्त तनकी का निर्णय भी अपीलान्ट के विरूद्ध व रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया जाता है।

1. आया वादी वादपत्र के चरण सं. 1 मे वर्णित कृषि की बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है –वादी

इस संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को विशिष्ट बीघों का बैयनामा करवाया है तथा शेष भूमि रेस्पोडेन्ट की है। अपीलान्ट को पत्थर नं0 200/285 किला नं0 13 की 11 बिस्वा, 14, 15 की 13 बिस्वा, 16 की 13 बिस्वा कुल 2 बीघा 17 बिस्वा से अधिक भूमि पर दखलन्दाजी करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त भूमि सहखातेदारी की होना मानकर व बिना विभाजन करवाने एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध

शाश्वत् व्यादेश की डिक्री प्राप्त नहीं होने का विवेचन कर उक्त तनकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध निर्णीत कर अहम भूल की है। अपीलान्ट प्रदर्श 1 बैयनामें के विरूद्ध कथन करने से विबंधित है व 2 बीघा 17 बिस्वा से अधिक भूमि में दखलन्दाजी नहीं दे सकता जबकि अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि मुश्तर्का खाता की है तथा उक्त भूमि अपीलान्ट के हक व हिस्सा की है। विवाद्यक संख्या 2, 4, 6 में यह विवेचना की जा चुकी है कि प्रश्नगत भूमि किला नंबर 15 व 16 में निरस्त खाला की 2–2 बिस्वा भूमि में अपीलान्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा उपरोक्त भूमि में अपीलान्ट को दखलन्दाजी करने का भी कोई हक व अधिकार नहीं है। इस हद तक अधीनस्थ न्यायालय का उक्त तनकी का निर्णय अपास्त किया जाकर उक्त तनकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में व अपीलान्ट के विरूद्ध निर्धारित की जाती है।

7. आया वादी को विनाय दावा हासिल नही है–प्रतिवादी

चूंकि अपीलान्ट ने विशिष्ट किले प्रदर्श 1 के जरिये खरीद किए हैं तथा अपीलान्ट को 2 बीघा 17 बिस्वा से अधिक भूमि पर दखलन्दाजी देने का कोई अधिकार हासिल नहीं है लेकिन अपीलान्ट द्वारा किला नंबर 15 व 16 निरस्त खाला की भूमि पर अपना हक जताये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वाद कारण हासिल हुआ है। उक्त तनकी का निर्णय भी अपीलान्ट के विरूद्ध व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

8. आया प्रतिवादी सं. 1 ता 3 वादी व प्रतिवादी सं. 4 ता 6, व गुरदेवसिंह, सुब्बासिंह के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी है–प्रतिवादी

कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वाद पत्र में चक 8 जी.जी.आर. के पत्थर नं0 200/285 किला नं0 15 व 16 प्रत्येक में खाला निरस्त की 2–2 बिस्वा भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा चाही है लेकिन तनकी न0. 2, 4, 6 में की गई विवेचना अनुसार अपीलान्ट का उपरोक्त किला न0. 15, 16, में निरस्तशुदा खाला की दो–दो बिस्वा भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस कारण अपीलान्ट प्रशनगत भूमि पत्थर नं0 200/285 किला नं0 15 व 16 प्रत्येक में खाला निरस्त की 2–2 बिस्वा भूमि के संबंध में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार यह तनकी निर्धारित की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की उक्त दोनों अपीलें काबिल अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील संख्या 156/2001 में राजस्व वाद पत्र संख्या 250/95 संबंधित क्रॉस आब्जेक्शन स्वीकार होने के कारण रेस्पोडेन्ट का वाद पत्र आंशिक रूप से डिक्री किए जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाकर

आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 374/1995 व राजस्व वाद संख्या 250/1995 में प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के निर्णय दिनांक 29.08.2001 को यथावत रखा जाता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 156/2001 में प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद पत्र संख्या 250/1995 आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट की आराजी चक 8 जी.जी.आर. के पत्थर नं0 200/285 किला नं0 15 व 16 में निरस्तशुदा खाला की 2–2 बिस्वा भूमि में अपीलांट स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से निषिद रहे। यह स्थाई निषेधाज्ञा विवादित कृषि भूमि का कब्जा उपखण्ड मजिस्ट्रेट टिब्बी के न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 145, 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे नियुक्त रिसीवर से वादग्रस्त भूमि मुक्त होने के पश्चात लागू होगी। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों अपील पत्रावली में पृथक पृथक रखी जाकर निर्णीतशुमार की जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15.03.2018 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या :– 155/2001/223 आर.टी.ए.

1. महेन्द्र सिंह उर्फ गुरपास सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. रणधीर सिंह पुत्र श्री चानण सिंह जाति जटसिख, निवासीयान सलेमगढ़, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज0)
3. रणजोध सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह जटसिख, निवासीयान सलेमगढ़, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज0)

–– अपीलान्ट

बनाम

1. सरदूल सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. हरचन्द सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
3. बाघ सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख निवासीयान कौनी, तहसील मुक्तसर, जिला फरीदकोट हाल टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
4. मुकन्द सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख निवासीयान कौनी, तहसील मुक्तसर, जिला फरीदकोट हाल टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
5. गुरदेव सिंह पुत्र श्री महंगा सिंह जाति जटसिख निवासीयान मसानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
6. सुब्बा सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख निवासीयान मसानी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

–– रेस्पोडेंट्स

7. अपील संख्या :– 156/2001/223 आर.टी.ए.

4. महेन्द्र सिंह उर्फ गुरपास सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
5. रणधीर सिंह पुत्र श्री चानण सिंह जाति जटसिख, निवासीयान सलेमगढ़, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज0)
6. रणजोध सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह जटसिख, निवासीयान सलेमगढ़, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज0)

–– अपीलान्ट

बनाम

5. सरदूल सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
6. हरचन्द सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
7. बाघ सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

8. मुकन्द सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह अकवाम जटसिख तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

—— रेस्पोडेंट्स

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द अभिभाषक, अपीलार्थीगण एवं श्री खुशप्रीत सिह सन्धू अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की उक्त दोनों अपीलें काबिल अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील संख्या 156/2001 में राजस्व वाद पत्र संख्या 250/95 संबंधित क्रॉस आब्जेक्शन स्वीकार होने के कारण रेस्पोडेन्ट का वाद पत्र आंशिक रूप से डिक्री किए जाने योग्य होने के कारण डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 374/1995 व राजस्व वाद संख्या 250/1995 में प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के निर्णय दिनांक 29.08.2001 को यथावत रखा जाता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 156/2001 में प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद पत्र संख्या 250/1995 आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट की आराजी चक 8 जी.जी.आर. के पत्थर नं0 200/285 किला नं0 15 व 16 में निरस्तशुदा खाला की 2–2 बिस्वा भूमि में अपीलांट स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से निषिद रहे। यह स्थाई निषेधाज्ञा विवादित कृषि भूमि का कब्जा उपखण्ड मजिस्ट्रेट टिब्बी के न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 145, 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे नियुक्त रिसीवर से वादग्रस्त भूमि मुक्त होने के पश्चात लागू होगी। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों अपील पत्रावली में पृथक पृथक रखी जाकर निर्णीतशुमार की जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 15.03.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ